"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229-ब] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 सितम्बर 2006—भाद्र 23, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2006

अधिसूचना

फा. क्र. 11456/21-विधीक्षा/छ.ग./06.—भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची तीन (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 5 तथा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी.पी. क्र. 291/2005 सीमा विरुद्ध अश्वनी में दिए गए निदेशों तथा बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से तथा बालकों की उचित अभिरक्षा, विवाहित दम्पत्तियों से उत्पन्न बालकों के अधिकार सुनिश्चित करने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 नामक निम्नलिखित नियम बनाना चाहती है.

प्रस्तावित नियम पर कोई आपत्ति या सुझाव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को कक्ष क्र. 346, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर को राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—**

(1) यह नियम छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. परिभाषाएं :—

(1) यह नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य पंजीयक" से अभिप्रेत है, नियम-3 के अधीन नियुक्त मुख्य पंजीयक,

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार,

(ग) "स्थानीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगरपालिक निगम से समाविष्ट क्षेत्र,

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगरपालिक निगम,

(ङ) "विवाह" से अभिप्रेत तथा इसमें शामिल है समस्त विवाह जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच बिना पक्षकारों के धर्म एवं जाति के विचार के, विधिपूर्वक अनुष्ठापित, सम्पादित या करार द्वारा निष्पादित विवाह, जिसमें किसी विधि, प्रथा, परंपरा के मुताबिक संपादित विवाह और पुनर्विवाह भी शामिल हैं,

(च) "स्मारक लिपि या उपपत्र" से अभिप्रेत है नियम 4 के अधीन बताए गये विवाह स्मारक लिपि/उपपत्र,

(छ) "पादरी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो विवाह सम्पन्न करवाता हो,

(ज) "पंजी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन संधारित पंजी,

(झ) "पंजीयक" से अभिप्रेत है, अधिनियम की नियम 3 की उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन पंजीयक.

3. मुख्य पंजीयक एवं पंजीयक की नियुक्ति :—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को राज्य के लिए मुख्य पंजीयक नियुक्त करेगी.

(2) स्थानीय प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजन के लिए उसके स्थानीय क्षेत्र के लिए पंजीयक होगा.

4. विवाह का पंजीयन :—

(1) (क) इन नियमों के प्रभावशील होते ही राज्य में सम्पन्न प्रत्येक विवाह पंजीकृत किया जाएगा.

(ख) विवाह के पक्षकार विवाह की तिथि से तीस दिनों की कालावधि के भीतर क्षेत्र के पंजीयक को जहां विवाह अनुष्ठापित या संपन्न किया जाता है अनुसूची "क" में दर्शाए प्ररुप में उपपत्र/ज्ञापन प्रस्तुत करेगा या प्रदत्त करेगा या उसकी दो प्रति में पंजीकृत डाक से भेजेगा.

(ग) विवाह का पंजीयक विहित परिसीमा से परे विवाह का ज्ञापन स्वीकार कर सकेगा यदि विवाह के पक्षकार यह सिद्ध करता है वह अपने नियंत्रण से परे किसी हेतुक द्वारा निवारित था.

(घ) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के परीक्षण के पश्चात् पंजीयक, अनुसूची "ग" में विनिर्दिष्ट पंजी में ज्ञापन की प्रविष्टियों को प्रविष्ट करेगा.

(ङ) पंजी में भरे प्रत्येक ज्ञापन अलग प्रविष्टि के रूप में माना जायेगा तथा प्रत्यके प्रविष्टि क्रमवार संख्यांकित की जायेगी, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ से नया क्रम शुरू होकर, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के साथ प्रारंभ एवं समाप्त होगी.

(च) पंजीयक, समस्त विवाहों का अभिलेख सूची "ख" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, मुख्य पंजीयक को भेजेगा.

(2) जहां पंजीयक जिसके समक्ष ज्ञापन पेश किया गया है, ज्ञापन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुवीक्षण कर या अन्य तथ्यों को उसके ध्यान में लाये जाने पर संतुष्ट हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि :—

(क) पक्षकारों के बीच विवाह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्पादित नहीं हुआ है, या

(ख) पक्षकारों के बीच विवाह पक्षकारों के व्यक्तिगत विधि के अनुसार सम्पादित नहीं हुआ है, या

(ग) पक्षकारों या साक्षियों की पहचान या पक्षकारों की पहच्चान प्रमाणित करने वाले व्यक्तियों तथा विवाह का अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों की पहचान बिना युक्तियुक्त संदेह के सिद्ध नहीं होता है, या

(घ) उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज पक्षकारों के बीच वैवाहिक स्थिति को प्रमाणित नहीं करता, तो वह पक्षकारों की सुनवाई तथा लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् विवाह का पंजीकरण करने से इंकार कर सकता है तथा—

(i) पक्षकारों को ऐसी और जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने जैसी आवश्यकता है या पक्षकारों एवं साक्षियों की पहचान या प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बुलाएगा; या

(ii) यदि यह आवश्यक समझें, तो दस्तावेजों को स्थानीय पुलिस स्टेशन जिसकी अधिकारिता में पक्षकार निवास करते हों, अभिप्रमाणित हेतु भेजेगा, या

(3) जहां उप-नियम (2) में उपबंधित अनुसार आगे अभिप्रमाणन पर पंजीयक संतुष्ट हो कि विवाह की पंजी करने में कोई आपत्ति नहीं है वह उसे पंजी कर सकेगा, यदि पंजीयक की राय में विवाह पंजीयन के लिए उपयुक्त नहीं है वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए इंकार करने का आदेश पारित करेगा तथा मूल की प्रतिलिपि मुख्य पंजीयक को प्रेषित करेगा.

5. **मुख्य पंजीयक को अपील :—**

(1) नियम 4 के अधीन विवाह के पंजी से को अपील पंजीयक के इंकार किए जाने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर मुख्य पंजीयक को रु. 30/- फीस के साथ अपील कर सकेगा.

(2) मुख्य पंजीयक पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् आदेश पारित कर पंजीयक को विवाह की पंजी करने का निर्देश देगा या पंजीयक के आदेश की पुष्टि करेगा.

6. **जिला न्यायाधीश को अपील :—**

मुख्य पंजीयक के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्ति के तीस दिनों की कालावधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश को जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह पंजीयक कार्यालय स्थित है, को अपील करेगा और जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा.

7. **विवाह पंजी :—**

(1) पंजीयक स्थानीय क्षेत्र जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, में अनुष्ठापित/संपादित विवाह की पंजी, ऐसे प्ररूप में जैसी कि अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट किया जाए संधारित करेगा तथा ज्ञापन में पक्षकारों द्वारा दिए गए विवरण को प्रविष्ट करेगा तथा उसे प्रमाणित करेगा और प्रविष्टि की प्रति मुख्य पंजीयक को प्रेषित करेगा.

(2) पंजीयक अनुसूची "घ" में दर्शाए गए प्ररूप में पक्षकारों को विवाह के पंजीयन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

8. **पंजी सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा :—**

विवाह पंजी पूरे युक्तियुक्त समय में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा तथा उसके प्रमाणित उद्धरण आवेदन पर पंजीयक द्वारा रु. 20/- फीस के भुगतान पर आवेदक को प्रदान किया जाएगा.

9. **विवाह का पंजीयन न करना :—**

इन नियमों के लागू होने के पश्चात् संपादित कोई भी विवाह एकमात्र इस तथ्य के कारण से अवैध नहीं मानी जाएगी कि वह इन नियमों के अधीन पंजीकृत नहीं था.

10. **विवाह ज्ञापन की प्राप्ति पर पंजीयक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :—**

पंजीयक उन समस्त विवाहों के लिए पंजी संधारित करेगा जिसके लिए उसे ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तथा ज्ञापन की प्राप्ति पर पंजी में ज्ञापन को पंजी में अभिलिखित कर विवाह पंजीबद्ध करेगा.

11. **विवाह प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कर्मियों का दायित्व :—**

कोई नियोक्ता या कोई शासकीय या अर्ध शासकीय प्राधिकारी या कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी उनके कार्यालयीन अभिलेख या कार्यालयीन दस्तावेज में ऐसा कोई परिवर्तन जो कि कर्मी के वैवाहिक स्थिति या नामनिर्देशित आदि में परिवर्तन या उनके किसी व्यक्ति, ग्राहक, मुवक्किल आदि से किसी सौदे के दौरान नहीं करेगा जब तक कि कर्मी या यथास्थिति आवेदक ऐसा परिवर्तन अभिलिखित करने के लिए नियमानुसार विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र या अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र पेश नहीं कर देता.

12. **ज्ञापन प्रस्तुत करने में असफल होने पर शास्ति :—**

जो कोई भी नियम 4 के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत करने में असफल होगा ऐसे दण्ड जो रुपये पांच सौ तक हो सकेगा जुर्माने से दंडित किया जाएगा.

13. **पंजी को नष्ट या परिवर्तित करने के लिए शास्ति :—**

जो कोई पंजी या उसके किसी भाग को नष्ट करता है बिगाड़ता है या बेईमानी से गलत जानकारी प्रस्तुत करता है वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत दिये जाने वाले दण्ड के साथ दो हजार के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा.

14. **पंजीयक लोक सेवक होगा :—**

मुख्य पंजीयक सहित प्रत्येक पंजीयक भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) की धारा 21 में परिभाषित "लोक सेवक" समझे जाएंगे.

15. **अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण :—**

पंजीयक/मुख्य पंजीयक अथवा उसके किसी अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध इन नियमों के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी.

16. **नियमों के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त होगी उसके अल्पीकरण में नहीं :—**

इन नियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे उसके अल्पीकरण में नहीं.

17. **राज्य सरकार द्वारा निदेश देने की शक्ति :—**

राज्य सरकार, समय-समय पर मुख्य पंजीयक को इन नियमों के उपबंधों से असंगत ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जैसी वह इन नियमों के उपबंधों के प्रभावी एवं सुकुर क्रियान्वयन के लिए इस निमित्त उचित समझे.

18. **कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति :—**

इन नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर इन नियमों के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची—'क'

ज्ञापन का प्रोफार्मा

[नियम 4 (ख) देखिए]

1. (क) पुरुष/वर का नाम एवं पता – ....

(ख) जन्म तिथि – ....

(ग) पिता का नाम – ....

(घ) जन्म तिथि – ....

(ङ) क्या विवाह किसी नियम, अधिनियम के अधीन या पादरी, काजी या चर्च, आर्य समाज या किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत किया गया है, यदि हां तो पंजीयन क्रमांक/दिनांक तथा उसका अन्य विवरण. – .... – ....

(च) निवास का पता – ....
ग्राम/मुहल्ला – ....
पोस्ट आफिस – ....
पुलिस स्टेशन – ....
जिला – ....

(छ) **स्थिति** :- अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा – ....

2. (क) महिला/वधू का नाम एवं पता – ....

(ख) जन्म तिथि – ....

(ग) पिता का नाम – ....

(घ) जन्म तिथि – ....

(ङ) क्या विवाह किसी नियम, अधिनियम के अधीन या पादरी, काजी या चर्च, आर्य समाज या किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत किया गया है, यदि हां तो पंजीयन क्रमांक/दिनांक तथा उसका अन्य विवरण. – .... – ....

(च) निवास का पता – ....
ग्राम/मुहल्ला – ....
पोस्ट आफिस – ....
पुलिस स्टेशन – ....
जिला – ....

(छ) **स्थिति** :- अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा – ....

3. (क) विवाह की तिथि - ....

(ख) विवाह का स्थान - ....

(ग) ग्राम/मोहल्ला, आदि - ....
पोस्ट आफिस - ....
पुलिस स्टेशन - ....
जिला - ....

4. विवाह का प्रकार (हिन्दु/मुस्लिम/ईसाई/आर्य समाज गन्धर्व इत्यादि.) - ....

स्थान ( )
पुरुष/वर का हस्ताक्षर

तारीख ( )
महिला/वधू का हस्ताक्षर

अनुसूची—"ख"

ज्ञापन

[नियम 4 (च) देखिए]

1. पक्षकारों का नाम – ....
2. आवेदन फाइल करने की तारीख – ....
3. पंजीयन क्र. – ....
4. यदि पंजीयन नहीं किया गया तो उसका कारण – ....
5. टिप्पणियाँ – ....

पंजीयक
विवाह

अनुसूची—'ग'
[नियम 7 (1) देखिए]

विवाह पंजी का प्रोफार्मा

अनु क्र.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	वर का नाम एवं पता	जन्म तिथि	विवाह के दिनांक को आयु	विवाह की दिनांक को पक्षकार की स्थिति, विवाहित/ अविवाहित/ विधुर/ तलाकशुदा	वधू का नाम एवं पता	जन्म तिथि	विवाह के दिनांक को आयु	विवाह की दिनांक को पक्षकार की स्थिति, विवाहित/ अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा	विवाह की तिथि	विवाह का स्थान	मुहल्ला / पुलिस-स्टेशन, तहसील, जिला	पंजीयन प्राधिकारी का विनिश्चय/ आदेश	अपीलीय प्राधिकारी का आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अनुसूची—'घ'

ज्ञापन

[नियम 7 (2) देखिए]

विवाह पंजीयन का प्रमाण-पत्र

पंजीयन क्रमांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री ....
आयु .... निवासी ....
जिला .... एवं श्रीमती ....
पुत्री श्री .... आयु .... निवासी ....
.... जिला .... दिनांक ....
को विवाह बंधन में बंधे.

दिनांक

स्थान

विवाह पंजीयन
प्राधिकारी (मुद्रा)

Raipur, the 14th September 2006

NOTIFICATION

No. 11456/21-Vetting/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by entry 5 and 30 of List III (Concurrent List) of Schedule VII of Constitution of India and the directions given by Hon'ble Supreme Court of India in T.P. No. 291/2005 Seema Vs Aswini and in view to take effective steps to restrain Child Marriage and Proper Custody of Children. to ensure the rights of Children born from the wedlock of the spouses, the State of Chhattisgarh has intended to frame the following Rules namely Chhattisgarh Compulsory Registration of Marriage Rules, 2006.

Any objection, suggestions on the proposed rule may be submitted to Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Room No. 346, D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur within 30 days from the date of its publication in the gazette, which shall be duly considered by the State Government.

THE CHHATTISGARH COMPULSORY REGISTRATION OF MARRIAGES RULES, 2006

1. Short title, extent and commencement :—

(1) These Rules may be called the Chhattisgarh Compulsory Registration of Marriages Rules, 2006.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise, requires,—

(a) "Chief Registrar" means Chief Registrar appointed under Rule 3;

(b) "Government" means State Government of Chhattisgarh;

(c) "Local area" means the area comprising of Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation as the case may be;

(d) "Local Authority" means Gram Panchayat or Municipality or a Municipal Corporation as the case may be;

(e) "Marriage" means and includes all marriages solemnized performed or contracted between a male and a female, irrespective of the religion or caste of either party to the marriage, and also includes marriages performed as per law, custom practice or any tradition of either party to the marriage and includes a remarriage;

(f) "Memorandum" means a memorandum of marriage referred to in Rule-4;

(g) "Priest" means any person who solemnizes marriage;

(h) "Register" means the Register of marriages maintained under the Rules;

(i) "Registrar" means Registrar under the provision of sub-rule (2) of Rule 3 of the Rule.

3. Appointment of Chief Registrar and Registrar :—

(1) The State Government may by notification appoint any officer as Chief Registrar for the State.

(2) Local Authority shall be the registrar for its local area for the purpose of these Rules.

4. **Registration of Marriage :—**

(1) (a) From the date of coming into force of these Rules every marriage solemnized in the State shall be registered.

(b) The parties to a marriage shall submit a memorandum in the Form specified in Schedule "A" and shall deliver or send by registered post in duplicate to the Registrar of the area where marriage is solemnized or performed within a period of thirty days from the date of marriage.

(c) The Registrar of Marriage may accept memorandum of the marriage beyond the limitation prescribed, if party to the marriage establishes that he was prevented by any cause beyond his control.

(d) After examining the memorandum submitted by the parties Registrar shall enter the entries of the memorandum in the register specified in Schedule "C".

(e) Each memorandum filled in the Register shall be treated as a separate entry and each entry shall be numbered in a consecuting series which will commence and terminate with each calendar year, a fresh series being commenced with the beginning of each year.

(f) The Registrar shall send the records of all marriages in form specified in schedule "B" to the Chief Registrar.

(2) Where the Registrar, before whom the memorandum is submitted on scrutiny of the documents submitted with the memorandum or, on the other facts noticed or brought to his notice is satisfied or has reasons to believe that :—

(a) the marriage between the parties is not performed in accordance with any law for the time being in force; or

(b) the marriage between the parties is not performed in accordance with the personal law of the parties; or

(c) the identity of the parties or the witnesses or the persons testifying the identity of the parties and the solemnization of the marriage is not established beyond reasonable doubt; or

(d) the documents tendered before him do not prove the marital status of the parties.

he may, after hearing the parties and recording the reasons in writing, refuse to register the marriage and may—

(i) call upon the parties to produce such further information or documents as deemed necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him, or

(ii) if deemed necessary, also refer the papers to the local police station within whose jurisdiction the parties reside, for verification.

(3) Where on further verification as provided in sub-rule (2) the Registrar is satisfied that there is no objection to register the marriage, he may register the same, If in the opinion of the Registrar, the marriage is not fit for registration, he may pass an order of refusal in writing, recording the reasons and send the duplicate copy to the Chief Registrar.

5. **Appeal to Chief Registrar :—**

(1) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to register the marriage under Rule 4 may within a period of thirty days from the date of receipt of such order, appeal to the Chief Registrar accompanied by fees of Rs. 30/-.

(2) The Chief Registrar after giving an opportunity of being heard to the parties pass an order in writing, recording the reasons, directing the Registrar to register the marriage or confirm the order of the Registrar.

6. **Appeal to District Judge :—**

Any person aggrieved by the order of the Chief Registrar may, within a period of thirty days from the date of the order, appeal to the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the Registrar of Marriages has his office and the decision of the District Judge shall be final.

7. **Register of Marriages :—**

(1) The Registrar shall maintain a Register of marriages solemnized/performed in the local area for which he is appointed, in such form as specified in schedule "C" and enter description given by parties in memorandum and authenticate the same and send a copy of the entry to the Chief Registrar.

(2) The Registrar shall issue a certificate of the Registration of the marriage to the parties in the form shown in the schedule "D".

8. **Register to be open for public inspection :—**

The Register of marriages shall, at all reasonable times, be open to inspection and the certified extracts there from shall, on application, be given by the Registrar to the applicant on payment of fees of Rs. 20/-.

9. **Non-Registration of marriages :—**

No marriage performed to which these Rules apply shall be deemed to be invalid solely by reason of the fact that it was not registered under the Rules.

10. **Procedure to be followed by the Registrar upon receipt of memorandum of marriage :—**

The Registrar shall maintain a register of all marriages for which a memorandum is submitted to him, and shall on receipt of the memorandum in the register.

11. **Responsibilities of employer etc. verification of marriage registration certificate :—**

No employer or a Government or Semi Government Authority or Company or Public Sector Undertaking or Local Authority shall carry out any change in their office record or in any office documents, such as change in the marital status or change of nomination, of its employee or in their dealing with any person, customer or client unless the employee or, as the case may be, the applicant, applying for carrying out or recording of such change, submits a certified copy of the certificate of registration of marriage granted under Rule 7 or granted under any other law for the time being in force.

12. **Penalty for failing to submit memorandum :—**

Whoever willfully fails to submit the memorandum under Rule 4 shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

13. Penalty for destroying or altering register :—

Whoever destroys, tampers the register or dishonestly submits false information, shall be punished with fine of rupees two thousand, in addition to punishment awardable under any other law for time being in force.

14. Registrar to be public servant :—

Every Registrar including the Chief Registrar shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of Indian Penal Code (45 of 1860).

15. Indemnity to persons acting under this Act :—

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Registrar/Chief Registrar or any employee subordinate to him for anything which is in good faith done or purporting to be done under the rules.

16. Provision of these Rules to be in addition to and not in derogation of other laws :—

The provisions of these Rules are in addition to and not in derogation of any other law for the time force.

17. Power of State Government to give direction :—

The State Government may, from time to time issue such directions not in consistent with the provisions of these rules, to the Chief Registrar, as it may deems fit in this regard for the effective and smooth implementation of the provisions of the rules.

18. Power to remove dificulties :—

If any difficulty arises in giving effect to the provision of these rules the State Government may, by order published in the official gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of these rules, as may be necessary for removing the difficulty.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANT RAY, Additional Secretary.

SCHEDULE—'A'

PROFORMA OF MEMORANDUM
[See Rule 4 (b)]

1.	(A)	Name and address of the Male/Bridegroom	-	....
	(B)	Date of Birth	-	....
	(C)	Name of Father	-	....
	(D)	Age at the time of marriage	-	....
	(E)	Whether marriage has been registered under any Rules, Act or Priest, Kaaji or Church, Arya Samaj or any other Institution, if yes the registration No./ date and other details thereof.	-	....
	(F)	Residential address	-	....
		Village/Mohalla	-	....
		Post office	-	....
		Police station	-	....
		District	-	....
	(G)	**Status-** Unmarried/Widower/Divorcee	-	....
2.	(A)	Name and address of the Female/ Brideg	-	....
	(B)	Date of Birth	-	....
	(C)	Name of Father	-	....
	(D)	Age at the time of marriage	-	....
	(E)	Whether marriage has been registered under any Rules, Act or Priest, Kaaji or Church, Arya Samaj or any other Institution, if yes the registration No./ date and other details thereof.	-	....
	(F)	Residential address	-	....
		Village/Mohalla	-	....
		Post office	-	....
		Police station	-	....
		District	-	....
	(G)	**Status-** Unmarried/Widower/Divorcee	-	....

3. (A) Date of marriage - ....

(B) Place of marriage - ....

(C) Village/Mohalla - ....

Post office - ....

Police station - ....

District - ....

4. Kind of Marriage (Hindu/Muslim/Christian/Arya Samaj/Gandharv etc.)

Place :

( )
Signature of Male/Bridegroom

Date :

( )
Signature of Female/Bride

SCHEDULE—'B'
[See Rule 4 (f)]

1. Name of the Parties - ....
2. Date of filing of application - ....
3. Registration No. - ....
4. If not registered the reasons thereon - ....
5. Remarks - ....

Registrar
Marriage

SCHEDULE—'C'
[See Rule 7 (1)]

PROFORMA OF THE MARRIAGE REGISTER

S. No.	Date of receipt of Application	Name & Address of Bride-groom	Date of Birth	Age on the date of marriage	Status of the party on the date of marriage unmarried/ widower/ divorcee	Name & Address of Bride	Date of Brith	Age on the date of marriage	Status of the party on the date of marriage unmarried/ widower/ divorcee	Date of Marriage	Place of Marriage	Mohalla/ Police Station, Tehsil, District	Result/ Order of the Registering Authority	Order of Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

SCHEDULE—'D'
[See Rule 7 (2)]

MARRIAGE REGISTRATION CERTIFICATE

Registration No. ....

It is hereby certified that Shree .... S/o. ....
.... aged .... resident of ....
District .... and Smt. ....
d/o. .... aged ....
resident of .... District .... are tied in the knot
of marriage on date ....

Date :

Place :

Marriage Registering Authority (Seal)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.